

ग्रामीण सेवा शिविर-2025

पत्र-६

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, राजसमन्ध जिला राजसमन्ध
(पीठारीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कांस्ट) केम्प

-: आदेश :-

पार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी श्री. देवुरी
के मु.अ.नि. श्री. देवुरी की रिपोर्ट तथा तहसीलदार श्री. लाला / नायब
तहसीलदार श्री. लाला की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान गृ-राजस्व अधिनियम
1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम श्री. देवुरी तहसील श्री. लाला में
जिला राजसमन्ध की जमावन्दी संवत् २०७७ में खाता संख्या ८५ में
जमाना में दर्ज प्रविष्टि का निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल
दरामद के आदेश दिये जाते हैं :-

क्र.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
०१	श्री. देवुरी	८५	SBI २११५ श्री. देवुरी	SBI २११५ श्री. देवुरी

श्री. देवुरी
उपखण्ड अधिकारी

लोक अदालत

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, _____

क्रमांक - 176
प्रतिलिपि -

दिनांक :-

1. तहसीलदार को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अनल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवावे।
2. प्रार्थी श्री को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।

श्री. देवुरी
उपखण्ड अधिकारी

लोक अदालत

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, _____